2.7.19.
Note press
[illegible]
(P.)
2.7.20

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप० है। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि T.I. प्रा० पत्र के अंगि नहीं करवाना चाहते हैं एवं इस आशय Not Press भी किया है अतः प्रार्थी का T.I. प्रा० पत्र Not Press में खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर इर्जा नम्बर सेक्शन है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner